उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-68/41-1-2025-CN-1779915-24
लखनऊ: दिनांक 28 जनवरी, 2025
शासनादेश संख्या-21/3224/41-1-2024-सी०एन०-1779915-24, दिनांक 08.01.2025 का
शुद्धि-पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-9100/6-1-1 (रा०यो० विविध-1)/2024-25, दिनांक 23 जनवरी, 2025 योजनान्तर्गत जनपद अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर के रामपुरवा में स्थित प्राचीन शिवाला शिव मंदिर का पर्यटन विकास निर्गत शासनादेश संख्या-21/3224/41-1-2024-सी०एन०-1779915-24, दिनांक 08.01.2025 के प्रस्तर-4 में अंकित ले 452801040800-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के स्थान पर लेखा शीर्ष 5452801040800-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों क अंकित करते हुए शुद्धि-पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2 अतः उक्त शासनादेश संख्या-21/3224/41-1-2024-सी०एन०-1779915-24, दिनांक 08.01.2025 के प्रस्तर-4 अंकित लेखाशीर्ष-452801040800-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के स्थान पर लेखा शीर्ष 5452801040800-मुख्यम स्थलों का विकास पढ़ा एवं समझा जाय।

तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 08.01.2025 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है तथा उक्त शासनादेश में अन्य शर्त एवं उपबन्ध यथावत् रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वित्तीय उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ।
4. जिलाधिकारी अयोध्या।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
8. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना) पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उपनिदेशक, पर्यटन, अयोध्या मण्डल अयोध्या।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रक) अनुभाग-7
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।